न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
पिठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 39/2022 वाद (जी.सी.एम.एस नम्बर 2023/256)

निर्णय दिनांक : 26.09.2023

1. मुकेश पिता हेमराज जी जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा
2. श्रीमति नानी बाई पत्नि स्व. हेमराज धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा
3. रामनिवास पिता रामेश्वर लाल धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा
4. श्रीमति माया पुत्री रामेश्वरलाल धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा
5. श्रीमति हुलासी बाई पत्नि स्व0 रामेश्वर लाल धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा

–वादीगण

।। बनाम ।।

1. श्री प्रेमनारायण पिता मांगीलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
2. श्रीमति काशीबाई पत्नि मांगीलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
3. श्री किशन लाल पिता रामचन्द्र जी जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
4. श्री हरिश पिता राम चन्द्र जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
5. श्रीमति निर्मला पुत्री रामचन्द्र जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
6. श्री सत्यनारायण पिता उतमचन्द जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
7. श्रीमति मैना पुत्री उतमचन्द जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
8. श्रीमति सवागी बाई पत्नि स्व0 उतमचन्द जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
9. श्री हुकमी चन्द पिता भंवरलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
10. श्री पारसमल पिता भंवरलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
11. श्री डाडमचन्द पिता उदयलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.10.04 10:10:45 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

12. श्रीमति केसर बाई पुत्री उदय लाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
13. श्रीमति लीला बाई पत्नि स्व0 उदयलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
14. श्री दशरथ दत्तक पुत्र नानुराम जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
15. श्रीमति गायत्री पुत्री नानुराम जी जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)
16. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार साहब बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 आर.टी. एक्ट

निर्णय

उपस्थिति :— श्री अनिल सोनावा अधिवक्ता वादीगण।
प्रतिवादीगण की तरफ से एक पक्षिय कार्यवाही।

मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188,209 आर.टी.एक्ट के तहत इस आश्य का पेश किया कि खतोनी संख्या नई 248 की आराजी खसरा नं. 348 रकबा 3.0500 है0 लगानी 6 रूपया 10 पैसा, आराजी खसरा नं0 353 रकबा 2.6500है0 लगानी 5 रूपया 30 पैसा भूमि का कुल किता 2 कुल रकबा 5.7000 है0 कुल लगानी 11 रूपया 40 पैसा भूमि राजस्व ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार सर्कल लक्ष्मीपुरा तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है। इस आराजी के भू –प्रबंधक मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी नं. 188 रकबा 26 बीघा 08 विस्वा भुमि होकर प्रतिवादी कमांक 1 प्रेमनारायण के पिता मांगीलाल जी एवं प्रतिवादी कमांक 2 श्रीमति काशीबाई के पति मांगीलाल पिता पृथ्वीराज जी धाकड़ थे श्री मांगी लाल जी का स्वर्गवास हो गया है जिनके विधिक वारिसान् एवं उत्तराधिकारी प्रतिवादी कमांक 1 व 2 है। आराजी के साबिक नं. 188 की उक्त भूमि सम्वत् 2026 से 2029 की जमाबन्दी नकल में प्रतिवादी कमांक 01 के पिता व प्रतिवादी कमांक 2 के पति मांगीलाल पिता पृथ्वीराज जी धाकड़ के नाम पर 2/3 हिस्सा मे से राजस्व रिकार्ड माफिक हिस्सा दर्ज था। पूर्व खातेदार मांगीलाल पिता पृथ्वीराज जी धाकड़ से वादग्रस्त आराजी मे से वादी कमांक 1, 3, 4 के दादाबा एवं वादी कमांक 2 व 5 के ससुर जी श्री प्रभुलाल पि[illegible] जी, एवं प्रतिवादी कमांक 3 से 7 के दादाबा एवं प्रतिवादी कमांक 8 [illegible] राम जी, प्रतिवादी कमांक 9 व 10 के पिता भंवरलाल जी, प्रति[illegible]मांक 11 [illegible]2 के दादाजी गोपी लाल जी प्रतिवादी कमांक 13 के ससुर जी गोपील[illegible] कमांक 14, 15 के पिता नानुराम जी धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा ने सयुंक्त रूप से वादग्रस्त [illegible]राजी साबिक नम्बर 188 मे से विकेता मांगीलाल पिता पृथ्वीराज जी धाकड़ का हिस्सा की भूमि रकबा 7 बिघा 10 विस्वा अक्षरे सात

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.10.04 10:10:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

बीघा दस विस्वा भूमि उसमे से निरफ हिस्सा 1/2 भाग का रकबा 3 बिघा 15 विस्वा भूमि व राजस्व ग्राम गढ़ बोरूण्डी में साबिक आराजी नं. 1/1 ग मे से 14 बीघा 15 विस्वा उसमे से निस्फ 1/2 भाग रकबा 7 बीघा साडा सात विस्वा भूमि को दिनांक 30/12/1975 को बिल एवज् 1000/—अखरा एक हजार रूपया में जरिये बिकाव नामा के खरीद की। विक्रेता/खातेदार प्रतिवादी कमांक 1 के पिता एवं प्रतिवादी कमांक 2 के पति मांगीलाल पिता पृथ्वीराज जी धाकड़ ने विक्रय की राशि प्राप्त कर बिकाव नामा का विधिवत् पंजीयन स्वयं रूबरू गवहान् श्री उप पंजीयक बड़ीसादड़ी के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 30/12/1975 को दयाराम, प्रभुलाल, भंवरलाल, गोपीलाल पिता भगवान जी धाकड़, नानुराम पिता जगन्नाथ जी धाकड़ निवासी मौजा लक्ष्मीपुरा के नाम पर पंजीबद्ध करवाया (रजिस्टर्ड बिकाव नामा की फोटों प्रति संलग्न है)। वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजी का उपयोग—उपभोग खरीददार दयाराम, प्रभुलाल, भंवरलाल, गोपीलाल पिता भगवान जी धाकड़, नानुराम पिता जगन्नाथ जी धाकड़ निवासी मौजा लक्ष्मीपुरा करते थे, श्री दयाराम, प्रभुलाल, भंवरलाल, गोपीलाल पिता भगवान जी धाकड़, नानुराम पिता जगन्नाथ जी धाकड़ जी का स्वर्गवास हो गया। जिनके विधिक वारिसान् एवं उत्तराधिकारी वादीगण तथा प्रतिवादीगण कमांक 3 से लगायत् 15 है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण तथा प्रतिवादी कमांक 3 से लगायत् 15 स्व0 दयाराम, प्रभुलाल, भंवरलाल, गोपीलाल पिता भगवान जी धाकड़, नानुराम पिता जगन्नाथ जी धाकड़ जी के विधिक वारिसान् एवं उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के निर्विघ्न रूप से शान्तिपूर्वक करते चले आ रहे है। जबकी प्रतिवादी कमांक 1 के पिता व 2 के पति श्री मांगीलाल जी द्वारा बिकाव नामा निष्पादित किया उसमें से ग्राम गढ़ बोरूण्डी की खातेदारी की आराजीयात् का निष्पादित बिकाव नामें के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण संख्या 262 दिनांक 15/09/1998 को श्री दयाराम, प्रभूलाल, भंवरलाल, गोपीलाल पिता भगवान लाल, नानुराम पिता जगन्नाथ धाकड़ साकीन लक्ष्मीपुरा के नाम पर दर्ज किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 3 से लगायत् 15 के नाम पर दर्ज हो चुकी है जबकी वादग्रस्त आराजीयात् का नामान्तरण नही खुला तथा वादग्रस्त आराजीयात् व वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 3 से लगायत् 15 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्णित आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादीगण कमांक 3 से लगायत् 15 के मृतक दयाराम, प्रभुलाल, भंवरलाल, गोपीलाल पिता भगवान जी धाकड़, नानुराम पिता जगन्नाथ जी धाकड़ ने विधिवत् प्रकिया के जरिये मूल खातेदार मांगी लाल पिता पृथ्वीराज जी धाकड़ से खरीद की उस पर कब्जा प्राप्त किया किन्तु वादीगण के दादाबा प्रभु लाल एवं प्रतिवादी कमांक 3 से 7 के दादाबा दयाराम जी एवं प्रतिवादी कमांक 8 सवागी बाई के सुसराजी दयाराम जी, प्रतिवादी कमांक 9 व 10 के पिता भंवरलाल जी , प्रतिवादी कमांक 11, 12 के दादाजी गोपी लाल जी प्र[illegible] कमांक 13 के सुसराजी गोपीलाल जी, प्रतिवादी कमांक 14, 15 के पि[illegible] लक्ष्मीपुराअनपढ एवं वृद्ध थे जिनको कानून की जानकारी नही [illegible] खरीद शुदा भूमि का राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम पर दर्ज नही [illegible] विक्रेता मांगीलाल पिता पृथ्वीराज जी धाकड़ के नाम पर दर्ज थी, विक्रेता श्री मांगीला[illegible] पिता पृथ्वीराज जी के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी कमांक 1 व 2 ने इनके नाम पर विरास्त से दर्ज करवा दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.10.04 10:10:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिवादी कमांक 1 से लगायत् 2 को वादग्रस्त आराजीयात् की पूर्ण जानकारी है कि इसको वादी कमांक 1, 3 ,4 के दादा जी एवं प्रतिवादी कमांक 2 व 5 के ससुर जी श्री प्रभु लाल एवं प्रतिवादी कमांक 3 से 7 के दादाबा दयाराम जी एवं प्रतिवादी कमांक 8 सवागी बाई सुसराजी दयाराम जी, प्रतिवादी कमांक 9 व 10 के पिता भंवरलाल जी, प्रतिवादी कमांक 11, 12 के दादाजी गोपी लाल जी प्रतिवादी कमांक 13 के सुसराजी गोपी लाल जी, प्रतिवादी कमांक 14, 15 के पिता नानुराम जी धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा द्वारा संयुक्त रूप से विक्रय कर दी। तथा मौके पर भी वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 3 से लगायत् 15 वादग्रस्त आराजी पर श्री दयाराम, प्रभुलाल, भंवरलाल, गोपीलाल, भगवान जी धाकड़, नानुराम पिता जगन्नाथ जी धाकड़ के देहान्त के बाद से उक्त भूमि पर विरास्त एवं उत्तराधिकार से उपयोग – उपभोग करते चले आ रहे है। इनके अतिरिक्त इस भूमि पर किसी अन्य का कोई कब्जा काश्त नही है। वादीगण वादग्रस्त आराजीयात् मे से रजिस्टर्ड बिकाव नामा के आधार पर रकबा 3 बीघा 15 विस्वा जिसका कुलिया आराजी का 7128/50160 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 3 से लगायत् 15 के नाम पर संयुक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कराने के कानूनन अधिकारी है। वादी कमांक 1,3, 4 के दादाबा एवं वादी कमांक 2 व 5 के ससुर जी श्री प्रभु लाल एवं प्रतिवादी कमांक 3 से 7 के दादाबा दयाराम जी एवं प्रतिवादी कमांक 8 सवागी बाई सुसराजी दयाराम जी, प्रतिवादी कमांक 9 व 10 के पिता भंवर लाल, प्रतिवादी कमांक 11, 12 के दादाजी गोपी लाल जी प्रतिवादी कमांक 13 के सुसराजी गोपी लाल जी, प्रतिवादी कमांक 14, 15 के पिता नानुराम जी धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा ने वादग्रस्त आराजी खातेदार मांगीलाल जी से सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी खाते की भूमि खरीद की एवं उसका भारतीय पंजीयन अधिनियम के अनुसार विधिवत् पंजीयन करवाया। जिससे वक्त खरीद से उक्त भूमि के मालिक एवं स्वामी वादी कमांक 1,3, 4 के दादाबा एवं वादी कमांक 2 व 5 के ससुर एवं प्रतिवादीगण कमांक 3 से 7 के दादाबा, एवं प्रतिवादी कमांक 8 के सुसराजी, प्रतिवादी नं0 9, 10 के पिता, प्रतिवादी कमांक 11, 12 के दादाबा, प्रतिवादी कमांक 13 के सुसराजी, प्रतिवादी कमांक 14, 15 के पिता हो गये। उक्त भूमि के सभी स्वत्व एवं अन्तरण सम्बंधी अधिकारी उनमें निहित हो गये थे। एवं ग्राम गढ़ बोरूण्डी की आराजीयात् जो कि बिकाव नामें में वर्णित है जिसका बिकाव नामें के आधार पर नामान्तरण संख्या 262 दिनांक 15/09/1998 को वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 3 से लगायत् 15 के पूर्वजो के नाम पर नामान्तरण दर्ज हुआ। जबकी वादग्रस्त आराजीयात् का राजस्व कर्मीयों ने नामान्तरण दर्ज नही किया। कानूनी प्रकिया अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से की भूमि का अन्तरण विक्रय/बिकाव के माध्यम से करता है तो उसका उस भूमि में विक्रय के दिन से कोई स्वत्व [illegible] जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजी अपने एवं प्रतिवादी कमांक 3 से लगायत् 15 के [illegible]ाराम, प्रभुलाल, भंवरलाल, गोपीलाल, नानुराम के वारिसान् होने से खातेदारी की घोषणा [illegible]न के अधिकारी है। रजिस्टर्ड बिकाव नामा के आधार पर खातेदारी द[illegible] न्याय संगत है। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर डिग्री पा[illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.10.04 10:10:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। साक्ष्य वादी में वादीगण एवं गवाह के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये जिन पर प्रदर्श अंकित कर शा.फा. किये गये। वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये विकय पत्र अनुसार वाद डिगी करने का निवेदन किया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बिकावनामा दिनांक 30.12.1975 बिल एवज 1000 रूप्ये अनुसार विकेता मांगीलाल पिता पृथ्वीराज धाकड नि.लक्ष्मीपुरा द्वारा वादग्रस्त आराजी मौजा लक्ष्मीपुरा की आराजी नम्बर मिलान क्षैत्रफल अनुसार नवीन आराजी 348,353 रकबा 5.70 हैक्टेयर भुमि में मांगीलाल ने विकय पत्र में दर्शाई यानि 3.10 बीधा भुमि केता दयाराम,प्रभुलाल,भंवरलाल,गोपीलाल पिता भगवानलाल व नानुराम पिता जगन्नाथ के पक्ष में विकय पत्र अनुसार पंजीयन करवाया गया। विकित खातेदार की खाते में विरासत की कार्यवाही हो जाने से विकय पत्र अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही नही हो पाई। अब वादीगण द्वारा विकय पत्र अनुसार घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर डिग्री चाही गई। वाद पत्र को शपथ पत्र के आधार पर साबित किया है कि विकय पत्र के आधार भुमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 से 15 के विरासत से पुर्व के खातेदारो द्वारा कय की है। चुंकि इस प्रकरण में उतरदाता द्वारा कोई जवाब नही प्रस्तुत किया जाने से वाद वादी स्वीकार करने का बल मिलता हैं चुंकि इस प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई जवाब प्रस्तुत नही होने से वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा लक्ष्मीपुरा की आराजी नम्बर 348,353 रकबा 5.70 हैक्टर भुमि में से प्रतिवादी नम्बर 1,2 के संयुक्त हिस्से 262/1056 में से 3.10 यानि 03 बीघा 10 बिस्वा भुमि वादीगण एवं प्रतिवादी न. 03 से 15 के संयुक्त खातेदारी में घोषित की जाती हैं। शेष बदस्तुर खातेदार रहेगी। धारा 188 की दाद वादीगण साबित करने में असफल रहने से खारिज की जाती है। इसी आश्य का पर्चा डिग्री अलग से मुर्तिब किया जावें।

उपरोक्त निर्णय आज दिनाक 26/9/23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत) RAS
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.10.04 10:10:45 IST
Reason: SelfAttested